

प्रेषक,
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, मिर्जापुर।
प्रेषिती,
श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
द्वारा-
आदरणीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद-मिर्जापुर।

पत्रांक: 1181/I/मिर्जापुर/

दिनांक: 06.06.2022

विषय:- तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय, मिर्जापुर श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 (दिनांक 01-04-2021 से 31-03-2022 तक) में दिये गये प्रतिकूल प्रविष्टि को निरस्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी दिनांक 01-04-2021 से दिनांक 31-03-2022 तक विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के रूप में जनपद-मिर्जापुर में पूर्ण निष्ठा एवं मनोयोग से कार्य किया। परन्तु तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय, मिर्जापुर श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा प्रार्थी के न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों का सही मूल्यांकन न करके Overall Good की प्रविष्टि दी गयी है, और प्रार्थी के न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों का अवमूल्यन करते हुए कुछ प्रविष्टियाँ जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है, ऐसी दी गयी हैं, जो किसी तथ्य व साक्ष्य पर आधारित नहीं है, और प्रार्थी को व्यक्तिगत रंजिश को देखते हुए दी गयी है, जिसके कायम रहने से प्रार्थी के सेवा में भविष्य पर संकट उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है, और बिना माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से उक्त आधारहीन व तथ्यविहिन प्रविष्टियों का विलोपन सम्भव नहीं है।:-

1- तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा प्रार्थी के सत्यनिष्ठा को मात्र संतोषजनक दर्ज किया गया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा एवं परिश्रम के साथ ईमानदारी पूर्वक सम्पादित किया गया है, किया जाता है, और भविष्य में भी किया जाता रहेगा। उक्त जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा बिना किसी तथ्य व साक्ष्य के प्रार्थी के सत्यनिष्ठा को संतोषजनक लिख दिया गया है। प्रार्थी के सत्यनिष्ठा के विरुद्ध कभी भी न तो वादकारी द्वारा कोई शिकायत की गयी, और न ही किसी विद्वान अधिवक्ता के द्वारा ही कभी कोई शिकायत की गयी। इस सन्दर्भ में श्रीमान् जी को यह अवगत कराना है कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम दिनांक 18-04-2015 से दिनांक 15-03-2017 तक जनपद अलीगढ़ में अपर जिला जज के रूप में कार्यरत् थे, और प्रार्थी भी उक्त अवधि में जनपद-अलीगढ़ में अपर जनपद न्यायाधीश के रूप में श्री शिव कुमार प्रथम के साथ कार्यरत् था। इसी दौरान श्री शिव कुमार प्रथम, का एक पालतू कुत्ता मर गया, और उन्होंने प्रार्थी से कहा कि इस मृतक कुत्ते को अपनी निजी वाहन में लादकर दफनाने के लिए नदी के किनारे भेजा गया। जबकि श्री शिव कुमार प्रथम के पास स्वयं उनका अपना वाहन मौजूद था, जिसे प्रार्थी ने इन्कार करते हुए यह कहा कि मैं अपने वाहन में मृतक कुत्ते को नहीं ले जा सकता। आप स्वयं अपने वाहन से लेकर

अधिसारित


I/C जनपद न्यायाधीश
बीरबापुर
06.06.2022

A

चलिये। इस प्रकार प्रार्थी ने मृतक कुत्ते को अपने वाहन में ले जाने से इन्कार कर दिया। इसी बात से तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम प्रार्थी से अत्यन्त नाराज हो गये, और प्रार्थी को असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए अपमानित भी किया। परन्तु प्रार्थी कनिष्ठ अधिकारी होने के कारण, और यह सोचकर की श्री शिव कुमार प्रथम इस समय कुत्ते के मरने से दुखी हैं, चुपचाप उक्त डॉट को सह लिया, और इसकी सूचना भी किसी वरिष्ठ अधिकारी अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को नहीं भेजा। उक्त बात से श्री शिव कुमार प्रथम प्रार्थी से जनपद-अलीगढ़ से ही बेहद नाराज रहे, और यह भी धमकी दिया था कि यदि मुझे कभी मौका लगा, तो मैं इसका सबक आपको सिखाऊँगा। संयोगवश वर्तमान में तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम पुनः मेरे साथ जनपद-मिर्जापुर में जिला जज के रूप में कार्यरत हुए। उसी रंजिश के कारण बिना किसी वादकारी अथवा अधिवक्ता की शिकायत के प्रार्थी के निष्ठा को सन्देह से परे न लिखकर मात्र संतोषजनक अंकित किया है, जो स्थित रहने योग्य नहीं है। तैनाती से सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न है।

- 2- तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा प्रार्थी को एक प्रतिकूल प्रविष्टि यह भी दी गयी है कि कई अवसरों पर प्रार्थी कठोर आक्रामक और अपने मनोदशा (Temper) को खो देता है, परन्तु प्रार्थी के सन्दर्भ में दी गयी उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि बिना किसी तथ्य व साक्ष्य के दी गयी है। तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया कि प्रार्थी किन-किन विशिष्ट तिथियों व अवसरों पर कठोर, आक्रामक व अपनी मनोदशा (Temper) को खोया है, यदि प्रार्थी द्वारा कई अवसरों पर कठोरता, आक्रामक रूख व अपना (Temper) खोया गया था, तो तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा इस सन्दर्भ में अर्द्धशासकीय पत्र जारी करते हुए स्पष्टीकरण आख्या तलब की जानी चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा प्रार्थी को उक्त के सन्दर्भ में न तो कोई अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित किया गया, और न ही कभी भी कोई स्पष्टीकरण आख्या ही माँगी गयी, जिससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम उपरोक्त द्वारा प्रार्थी को दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि तथ्यहीन, साक्ष्यहीन तथा अधारहीन है। जनपद-अलीगढ़ के व्यक्तिगत रंजिश के कारण दी गयी है, जो माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है।
- 3- तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा प्रार्थी द्वारा तथ्य व विधि पर आधारित पारित निर्णय/आदेश को अच्छा, अच्छे कारणों सहित व अच्छी भाषा में होना न बताते हुए मात्र संतोषजनक बताया गया है। इसी प्रकार उक्त श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा तथ्यों का निर्धारण (Marshalling) व साक्ष्यों के विश्लेषण से मात्र संतोषजनक बताया गया, जो कि सत्य नहीं है। क्योंकि प्रार्थी द्वारा निर्णय/आदेश पारित करते समय तथ्यों की अच्छी मार्सलिंग व साक्ष्यों का अच्छा विश्लेषण/मूल्यांकन किया गया है, और निर्णय/आदेश पारित करते समय माननीय उच्चतम् न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के प्रासंगिक व सुसंगत विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए व उनका

अनुपालन करते हुए निर्णय/आदेश पारित किये गये हैं, जो प्रार्थी द्वारा आत्म मूल्यांकन प्रपत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी द्वारा कारण दर्शित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विहित विधि व्यवस्थाओं का सम्मानपूर्वक अनुपालन करते हुए आदेश/निर्णय पारित किये गये हैं, तथा विधि का सही अनुप्रयोग निर्णय/आदेश में किया गया है। उक्त स्थिति में उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि स्थित रहने योग्य नहीं है।

- 4- तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा कार्यालय पर नियंत्रण, प्रशासनिक क्षमता व तरीका (Tact) के बावत् संतोषजनक प्रविष्टि दी गयी है, जो कि वास्तविकता से परे है। प्रार्थी का अपने कार्यालय पर प्रभावी नियंत्रण है, और प्रत्येक परिस्थिति में प्रार्थी सूझबूझ के साथ अच्छी प्रशासनिक क्षमता को धारित करते हुए अपने न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों को सम्पादित कर रहा है। यदि प्रार्थी का अपने कार्यालय पर प्रभावी नियंत्रण न होता, और प्रार्थी की अच्छी प्रशासनिक क्षमता न होती, और प्रार्थी विवेकपूर्ण तरीके से कार्य न करता, तो आये दिन प्रार्थी के न्यायालय व कार्यालय में अव्यवस्था दिखती व वादकारी अथवा अधिवक्ता द्वारा इसकी शिकायत जनपद न्यायाधीश महोदय से अवश्य करते, और ऐसी स्थिति में जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा इस सन्दर्भ में प्रार्थी को लिखित/मौखिक निर्देश अवश्य दिया जाता, तथा आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण भी माँगा जाता, परन्तु प्रार्थी को सम्पूर्ण कार्यकाल में जनपद न्यायाधीश द्वारा कभी भी उक्त के बावत् न तो लिखित/मौखिक निर्देश दिया गया, और न ही कोई स्पष्टीकरण आख्या ही माँगी गयी। उक्त के सन्दर्भ में किसी वादकारी / अधिवक्ता द्वारा भी किसी प्रकार की कोई लिखित/मौखिक शिकायत तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम से नहीं की गयी है। इससे भी उक्त के सन्दर्भ में तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा दी गयी संतोषजनक प्रविष्टि तथ्यहीन, आधारहीन, सारहीन व साक्ष्यहीन है। प्रार्थी के न्यायालय/कार्यालय का भी निरीक्षण उक्त श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा आकस्मिक रूप से तथा वार्षिक किया गया। परन्तु उपरोक्त प्रकार की कोई कमी उनके द्वारा नहीं पायी गयी, और न ही उक्त कमी का कोई उल्लेख उनके द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या में ही दर्शित की गयी है। अतः तत्कालीन जनपद न्यायाधीश द्वारा की गयी उपरोक्त प्रविष्टि भी स्थिर रहने योग्य नहीं है।
- 5- तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा प्रार्थी को एक आश्चर्यजनक प्रतिकूल प्रविष्टि यह दी गयी है कि प्रार्थी जनपद न्यायाधीश महोदय व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन कभी नहीं करता है। परन्तु उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि का सम्बन्ध सत्यता से कहीं दूर-दूर तक नहीं है। उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि कदापि सत्य व वास्तविक नहीं है। क्योंकि यदि प्रार्थी द्वारा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन न किया जाता, अथवा उनके आदेशों का उल्लंघन किया जाता, तो उक्त वरिष्ठ अधिकारी इसकी लिखित/मौखिक सूचना जनपद न्यायाधीश महोदय को अवश्य प्रेषित करते, तथा जनपद न्यायाधीश महोदय को स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रार्थी को इस सन्दर्भ में सूचित करते, और आवश्यकतानुसार इस सन्दर्भ में प्रार्थी से लिखित

स्पष्टीकरण आख्या भी मॉगते, परन्तु सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः यह पूर्ण रूप से असत्य है कि प्रार्थी अपने वरिष्ठ अधिकारियों अथवा जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशों का अनुपालन नहीं करता है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी सेवा में आने के बाद से ही आज तक अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लिखित/मौखिक आदेश सदैव सम्मानपूर्वक पालन करता चला आ रहा है, तथा भविष्य में भी करता रहेगा। प्रार्थी द्वारा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम के भी सभी मौखिक/लिखित आदेशों का कड़ाई व तत्परता से सम्मानपूर्वक अनुपालन किया जाता रहा है। यदि प्रार्थी द्वारा उक्त श्री शिव कुमार प्रथम के लिखित/मौखिक आदेशों व निर्देशों का कभी अनुपालन न किया गया होता, तो निश्चित तौर पर वे इस सन्दर्भ में प्रार्थी के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते थे, और प्रार्थी से स्पष्टीकरण आख्या भी मॉग सकते थे, किन्तु कभी भी तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा उक्त के सम्बन्ध में प्रार्थी के विरुद्ध न तो कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी, और न ही कभी कोई स्पष्टीकरण आख्या ही मॉगी गयी, इससे यह स्वतः जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा सदैव तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम के मौखिक/लिखित आदेशों/निर्देशों का अनुपालन किया जाता रहा है। प्रार्थी के विरुद्ध उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि उनके द्वारा जनपद-अलीगढ़ की घटना से रंजित मानने के कारण प्रार्थी को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तथा प्रार्थी के न्यायिक सेवा के भविष्य को धूमिल करने के उद्देश्य से दी गयी है, जो तथ्य व से साक्ष्यों से समर्थित न होने के कारण असत्य व आधारहीन है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दिनांक 03-01-2004 को न्यायिक सेवा में प्रवेश किया था, और लगभग 18-19 साल की सेवा के दौरान कभी भी किसी भी जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थी के किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल प्रविष्टि आज तक नहीं दी गयी है, और प्रार्थी की न्यायिक सेवा आज तक बेदाग रही है, तथा प्रार्थी को अब तक **Outstanding, Verygood** अथवा **Good** की प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनकी अन्देखी करते हुए तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा दुर्भावनावश प्रार्थी को उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करने हेतु प्रार्थी अत्यन्त विनम्र शब्दों में अनुरोध कर रहा है।

इनके पूर्व माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री लालचन्द्र गुप्ता द्वारा दिनांक 20-05-2021 को प्रार्थी को उसके कार्य, परिश्रम व व्यवहार को देखते हुए प्रभारी अधिकारी नजारात व भवन का कार्यभार सौंपा गया था, जिसका बखूबी निर्वहन प्रार्थी द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व जनपद न्यायाधीश महोदय श्री लालचन्द्र गुप्ता द्वारा प्रार्थी को अन्य कई समितियों का सदस्य बनाया गया था, जिसके दायित्वों को भी प्रार्थी द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से निर्वहन किया गया है। परन्तु तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा अपने कार्यकाल में मुझ प्रार्थी से यह कथन किया कि न्यायालय का सम्पूर्ण धन जो नजारात में ही रहता है, तथा मुझ प्रार्थी से कुछ ऐसे व्यक्तिगत सामानों की मॉग की गयी, जो एक न्यायिक अधिकारी द्वारा मॉगा जाना, उसके पद एवं

A

गरिमा के अनुरूप नहीं था, जिसे प्रार्थी देने में अस्मर्थ था। साथ ही साथ नजारत अनुभाग से माननीय उच्च न्यायालय तथा शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के विपरित जाकर सामानों को क़य करने हेतु मौखिक रूप से बार-बार दबाव बनाया गया। प्रार्थी द्वारा ऐसा इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि उक्त प्रकार से की गयी खरीददारी प्रार्थी की आगे की सेवा में किसी भी प्रकार से हित में नहीं है, ओर न ही सुरक्षित है। उक्त सम्पूर्ण तथ्य से तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री शिव कुमार सिंह प्रथम मुझ प्रार्थी से काफी नाराज हो गये। दिनांक 13-12-21 को प्रार्थी को पुरानी रंजिश व दुर्भावना से ग्रसित होकर प्रभारी अधिकारी नजारत व बिल्डिंग के पद से हटा दिया गया, और एक-दो महत्वपूर्ण समितियों को छोड़कर प्रार्थी को किसी समितियों में नहीं रखा गया, जबकि प्रार्थी वरिष्ठ अधिकारी की श्रेणी में था। दौरान प्रभारी अधिकारी नजारत मेरे द्वारा केन्द्रीय नाजिर श्री राजेश सिंह द्वारा प्रस्तुत कई बिलों के भुगतान हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों को उक्त तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम को भुगतान हेतु अग्रसारित किया गया, परन्तु उनके द्वारा अधिकतर प्रार्थना-पत्रों पर भुगतान का आदेश नहीं किया गया, और यह कहते हुए उनको लम्बित रखा गया कि मैं इसका भुगतान नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी सेवा निवृत्ति नजदीक है। उक्त अवधि में जनपद न्यायाधीश महोदय के कृत्यों से अनावश्यक बाधा का सामना करना पड़ा। इस सन्दर्भ में प्रासंगिक व सुसंगत प्रपत्र इस प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्नक के रूप में संलग्न किये जा रहे हैं।

- 6- तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा प्रार्थी को एक प्रतिकूल प्रविष्टि यह भी दी गयी है कि प्रार्थी का अधिवक्ता संघ के कुछ सदस्यों से सीमा से अधिक अच्छे सम्बन्ध हैं, तथा प्रार्थी द्वारा कुछ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के सहयोग से तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहायता करते हुए जिला न्यायालय के सामान्य प्रशासन व जनपद न्यायाधीश के कार्यों में बाधा व उपताप पैदा किया गया। इसी प्रकार तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा प्रार्थी को एक प्रतिकूल प्रविष्टि यह भी दी गयी है कि प्रार्थी मिर्जापुर जजशिप में पूर्व में भी नियुक्त था, तथा अधिवक्ता संघ के सदस्यों से पहले से ही भली-भाँति परिचित था। इसलिए वह उन्हें जिला न्यायालय के सामान्य प्रशासन व जिला जज के कार्यों में बाधा व उपहास पैदा करने में सहयोग देता है। इसी प्रकार तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा एक प्रतिकूल प्रविष्टि इस आशय की भी दी गयी है कि महिला अधिकारियों द्वारा कई बार यह मौखिक शिकायत की गयी कि प्रार्थी उनके न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों में सम्यक प्रभाव पैदा करता है। इसी प्रकार उक्त तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा प्रार्थी की एक प्रतिकूल प्रविष्टि यह भी दी गयी है कि मिर्जापुर जिले के प्राधिकारियों व न्यायिक अधिकारियों की कई बैठकों में प्रार्थी असहयोग पैदा किया है, तथा अपने बेरूखा व कठोर स्वभाव दिखाता है, और जनपद न्यायाधीश के साथ कभी अच्छा सम्बन्ध नहीं रखता है।

तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा प्रार्थी को दी गयी उक्त प्रतिकूल प्रविष्टियाँ सर्वथा सारहीन, साक्ष्यहीन व

A

असत्य है। प्रार्थी का अधिवक्ता संघ के किसी भी सदस्य से सीमा से अधिक कोई भी सम्बन्ध नहीं है। बल्कि सभी अधिवक्ताओं के साथ सामान्य सम्बन्ध है। प्रार्थी द्वारा किसी भी अधिवक्ता अथवा अधिवक्ताओं को व किसी अन्य अपर जिला जज का सहयोग लेकर न तो तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिला न्यायालय के सामान्य प्रशासन व जिला जज के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने में सहयोग किया गया, और न ही किसी प्रकार का उपताप पैदा किया गया। वास्तविकता यह है कि उक्त तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम व तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपसी बातों को लेकर विवाद था, जिससे प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई भी लेना-देना नहीं था। महज व्यक्तिगत रंजिश व पूर्वाग्रह के कारण उक्त तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा प्रार्थी की न्यायिक सेवा को धूमिल करने व प्रार्थी की छवि खराब करने के लिए उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है, जिसका मा० उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाना न्यायपूर्ण एवं प्रार्थनीय है।

यह सत्य है कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार प्रार्थी पूर्व में भी जनपद-मिर्जापुर में कार्यरत रह चुका है। प्रार्थी दूसरी बार जनपद-मिर्जापुर में कार्यरत है। किन्तु प्रार्थी का पहले भी अधिवक्ता संघ के सदस्यों से सामान्य सम्बन्ध था, और अभी भी सामान्य सम्बन्ध है। प्रार्थी ने कभी भी जिला न्यायालय के सामान्य प्रशासन व जिला जज के कार्यों में न तो बाधा उत्पन्न किया, और न ही बाधा उत्पन्न करने में अधिवक्ताओं का सहयोग किया। यदि अधिवक्ताओं द्वारा जिला जज के विरुद्ध कभी किसी प्रकार की हड़ताल आदि की गयी तो वह क्यों की गयी, इसकी जानकारी हड़ताल के प्रस्ताव के आने पर ही प्रार्थी को होती थी। प्रार्थी सदैव अपने न्यायिक कार्य में व्यस्त रहता था, क्योंकि प्रार्थी विशेष न्यायाधीश पाक्सो ऐक्ट के रूप में कार्यरत है, और इस न्यायालय में काफी संख्या में पत्रावलियों का निस्तारण शीघ्रताशीघ्र करना होता है। तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि जनपद-अलीगढ़ की बात से क्षुब्ध होकर व्यक्तिगत रंजिश के कारण पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दी गयी है, जो निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थी द्वारा किसी भी महिला अधिकारी के न्यायिक व प्रशासनिक कार्य में कभी भी किसी प्रकार का न तो दबाव दिया गया, और न ही हस्तक्षेप किया गया। प्रार्थी स्वतः अपने न्यायिक कार्य में इतना व्यस्त रहता है कि कभी भी किसी महिला अधिकारी के विश्राम कक्ष में नहीं गया। उक्त तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा जान-बूझकर महिला अधिकारियों द्वारा मौखिक शिकायत करने की बात लिखी गयी है। महिला अधिकारी के नामों का जान-बूझकर उल्लेख नहीं किया गया है। इससे स्वतः उक्त बात असत्य एवं बनावटी प्रतीत होती है, और महज प्रार्थी को परेशान व प्रताड़ित करने के लिए अंकित की गयी है। यदि प्रार्थी द्वारा किसी भी महिला अधिकारी के न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप व असम्यक दबाव कारित किया गया होता तो वह महिला अधिकारी तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय से लिखित शिकायत करती, परन्तु ऐसा नहीं है, इससे भी उक्त प्रतिकूल

A

प्रविष्टि अपने आपमें असत्य एवं बनावटी जाहिर होती है, तथा प्रार्थी को नुकसान पहुँचाने के आशय से की गयी है। प्रार्थी द्वारा कभी भी मिर्जापुर के जिला प्राधिकारियों अथवा न्यायिक अधिकारियों की मीटिंग में किसी प्रकार का न तो कभी कोई असहयोग किया गया, न ही बेरुखा व कठोर व्यवहार किया गया। बल्कि उक्त मीटिंगों में प्रार्थी अनुशासन के साथ तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय के विश्राम कक्ष में सहभागिता करता था, तथा अपने न्यायालय व विभाग से सम्बन्धित प्रश्नों का अनुशासन के साथ उत्तर देता था, और अपनी न्यायालय/कार्यालय से सम्बन्धित समस्याओं को समाधान हेतु बैठकों में रखता था। प्रार्थी द्वारा कभी भी तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। बल्कि प्रार्थी शालीनता से बैठकों में भाग लेता था, तथा जनपद न्यायाधीश के मौखिक/लिखित आदेशों का पालन करता था। यदि प्रार्थी जिला प्राधिकारियों की मीटिंग में अथवा न्यायिक अधिकारी की मीटिंग में अभद्र व्यवहार करता होता तो निश्चित रूप से उक्त तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा इस सन्दर्भ में प्रार्थी से लिखित स्पष्टीकरा आख्या माँगी जाती। किन्तु ऐसा उनके द्वारा कभी नहीं किया गया। इसी से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि काल्पनिक असत्य एवं निराधार है।

अतः श्रीमान् जी से अत्यन्त विनम्र निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिनांक 01-04-2021 से 31-03-2022 तक) तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा प्रार्थी को दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टियाँ मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से निरस्त कराने हेतु यह प्रत्यावेदन मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें, ताकि मा० उच्च न्यायालय प्रार्थी के आत्म मूल्यांकन प्रपत्र के आधार पर प्रार्थी को समुचित प्रविष्टि प्रदान कर सके। प्रार्थी श्रीमान् जी का सदैव आभारी रहेगा।

सादर,

दिनांक: 06-06-2022

संलग्नक-

उपरोक्तानुसार एनेक्चर संलग्न है।

भवदीय,

(अच्छे लाल सरोज)

जे.ओ.कोड नं०-6134

विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/

अपर सत्र न्यायाधीश, मिर्जापुर।

